न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 26/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00272

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
किशन पुत्र गणपत नाई, जाति सैन निवासी निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट , जिला पाली		1. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट, 2. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रोहट

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह केसरिया
अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12.01.2022

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट तहसील रोहट द्वारा मिसल संख्या 47/2019–20 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.07.2020 की पालना में पारित पट्टा संख्या 38 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत रोहट में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के पास, तगरा रोड़ तथा पाली जोधपुर हाईवे पर एक पट्टासुदा खाली भूखण्ड स्व. गणपतजी पुत्र दानारामजी का पट्टा संख्या 154, मिशल संख्या 373 बनाप 100 गुणा 100 आया हुआ है जो दिनांक 22.11.1962 को जारी किया हुआ है तथा जिस पर शुरू से ही मृतक स्व. गणपतजी पुत्र दानारामजी का कब्जा रहा तथा उनकी मृत्यु दिनांक 09.05.1990 के पश्चात मृतक के वारीसानों का कब्जा रहा है। उनके विधिक वारिसान चणकीदेवी पत्नी स्व. गणपतजी तथा किशनलाल, श्यामलाल, कानाराम, सुमेर पुत्रगण स्व. गणपतजी व क्रमशः चम्पा पत्नी मूलाराम, सीता पत्नी प्रकाशजी, पिसता पत्नी सुमेररामजी, लीलादेवी पत्नी श्यामलालजी तमाम स्व. गणपतजी की पुत्रियां है। स्व. गणपत पुत्र दानारामजी के समस्त वारिसानों द्वारा उनके बड़े पुत्र किशनलाल के पक्ष में आम मुख्तियारनामा तस्दीकसुदा निस्पादित किया गया है जिसमें उक्त जमीन का विक्रय, अन्तरण, हस्तानान्तरण, बेचाण इकरार, रजिस्ट्री, विक्रय बाबत स्टाम्प खरीद, बेचाणनामा–निस्पादन, रजिस्ट्री इत्यादी तमाम अधिकार प्रदान किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिये मिसल संख्या 47/2019–20 के पट्टा संख्या 38 में ग्राम पंचायत रोहट के प्र[illegible]ख्या 1 दिनांक 05.07.2020 को क्षेत्राधिकार विहिन बाले–बाले [illegible] कर दिया जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] देने पर जानकारी प्राप्त हुई। पट्टे [illegible] जाने से पश्चातवृती पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी पेश [illegible] गई है। उक्त जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना मिसल कायम किए अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर पंचायत राज नियमों की पालना किये बिना जारी किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा 1400 वर्गगज भूमी का सरकारी संस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:46:42 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

100 गुणा 100 = 10,000 वर्गमीटर है जबकि पश्चातवृती पट्टे में अंकित नाप उत्तरी भुजा 310 गज दक्षिणी भुजा 300 गज पूर्वी भुजा 47 गज एवं पश्चिम की भुजा 37 गज है इस प्रकार दोनों आराजियात के पड़ोस व नाप पृथक–पृथक होने से दोनों आराजी को एक ही नहीं माना जा सकता है। न ही अन्य कोई ठोस आधार वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। इस प्रकार पट्टे पर पट्टा जारी होना सिद्ध नहीं होता है।

ग्राम विकास अधिकारी ने जरिये पत्रांक ग्रा.प.रो./2021/160 दिनांक 28.07.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। 2020 में जारी पट्टे की मिसल उपलब्ध नहीं होना संदेह उत्पन्न करता है। मूल पट्टे व प्रस्ताव के अवलोकन पर पाया गया कि पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में भी आंवटन किया जाना अंकित नहीं होकर पट्टा नियम 157(1) के तहत दिये जाने का उल्लेख है जबकि उक्त नियम में पुराने गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा नियम 158 आबादी भूमी का रियायती दर पर/निःशुल्क 1400 वर्गगज का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत नियम 158 के तहत 1400 वर्गगज भूमी आवंटन के लिए अनुमत नहीं है। फिर भी उक्त पट्टा जारी कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। अतः प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि स्पष्ट है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रोहट तहसील रोहट द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 एवं तथाकथित मिसल संख्या 47/2019–20 में पारित आदेश तथा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विद्यालय को पट्टा देने की नवीन कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:46:42 IST
Reason: SelfAttested